न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—माँगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्याः—365/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—53,88,188 आरटीए

1. सन्दीप पुत्र बलवन्त जाति सुथार निवासीगण ढ़ाबा तहसील संगरिया।
2. सुधीर पुत्र बलवन्त जाति सुथार निवासीगण ढ़ाबा तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. बलवन्त पुत्र गोमदराम जाति सुथार निवासी ढ़ाबा तहसील संगरिया।
2. उप पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग संगरिया।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री भीमसिंह छींपा — वकील वादीगण

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम चक नं.3 एसएनजी पटवार हल्का 6 बीजीपी के खाता संख्या 54/7 खाता रूकमा वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 2071 में वादीगण के पिता बलवन्त के नाम से 1.131 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि को लेकर अर्सा दराज पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का काष्त की सुविधा अनुसार बाह्मी घरा घरू बंटवारानामा हो चुका है,घरू बंटवारा में मिली वादभूमि पर वादीगण ने भारी रूपया खर्च कर सुधार कर काष्त योग्य बनाया है। घरू बंटवारा में मिली वादभूमि पर वादीगण की बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्व कब्जा काष्त चली आ रही है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण के हक व हिस्सा में आयी कब्जा काष्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

चक नं. 3 एसएनजी के खाता संख्या 54/7 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 प.नं. 206/154 मु.नं. 29 कि.नं. 21/.253, प.नं. 205/154 मु.नं. 30 कि.नं. 24,25/0.506 कुल 0.759 है.।

वादभूमि बाह्मी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण बिना बजह सींव बट,रकम राज आबयाना इत्यादि को लेकर विवाद रहता है तथा वादीगण के खातेदारी पैतृक अधिकारी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है,जबकि वादभूमि में वादीगण का जन्मजात पैतृक खातेदारी हक व अधिकार बनता है,इसलिए वादीगण बाह्मी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि में जन्मजात वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णितानुसार बहिब के खातेदार काष्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वो हम वादीगण को बाह्मी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का खातेदार काष्तकार मानकर

वादभूमि का अंकन हम वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में घरू बंटवारानामा अनुसार अमल दरामद करवा देवे तो स्पष्ट इन्कार हो गया और धमकी दी कि वादभूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करूंगा। बस यही वाद कारण है।

वादीगण का पिता प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त नषे का आदि है जो राजस्व रिकार्ड में अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर लालच के बषीभूत होकर वादीगण को घरू बंटवारा में मिली कब्जा काष्त की पैतृक कृषि भूमि हड़पने के लिए ऐलानिया तौर पर सरेआम धमकियां दे रहा है कि वादभूमि का बैयनामा किसी अजनबी बदमाष व्यक्ति के नाम से करवा आपकी कब्जा काष्त की भूमि पर जबरन कब्जा करवा आपको भूमि से बेदखल करूंगा। आज प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में बना हुआ है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने इस विधि विरूद्व उद्देष्य में कामयाब हो जाता है तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वादीगण अपने खातेदारी पैतृक कृषि भूमि से वंचित हो जावेंगे जिसकी भरपाई रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए आज वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आषय का शाष्वत व्यादेष प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है कि चक 3 एसएनजी के खाता संख्या 54/7 खाता रूकमा वगैरा में दर्ज भूमि प.नं. 206/154 मु.नं. 29 कि.नं. 21/0.253,प.नं. 205/154 मु.नं. 30 कि.नं. 24,25/0.506,प.नं. 206/155 मु.नं. 3 कि.नं. 1/1/0.184,प.नं. 205/155 मु.नं. 36 कि.नं. 4/1/0.056,5/1/0.057 कुल 1.131 है. भूमि का खाता तकसीम करवाये बिना रहन बैय करने से व वादीगण की शान्ति पूर्ण कब्जा काष्त में दखल करने से व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने से ममनू व बाज रहे।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की साधारण सम्मन से तलबी होकर प्राप्त जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं हाजिर नहीं मिला पत्नी को तामील दी गई जो परिवार में साथ रहती है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना जवाब दावा व पत्नी शारदा देवी ने सहमति का शपथ–पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी पुनः रजिस्टर्ड एडी व स्थानीय अखबार से करवाई गई,साधारण सम्मन,रजिस्टर्ड एडी व स्थानीय अखबार से तलबी करवाये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नहीं आया,उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 सन्दीप की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त के नाम की चक नं. 3 एस.एन.जी.जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 प्रदर्श–1, पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 3 एसएनजी के खाता संख्या 6/6 में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोमद पुत्र कालू जमाबन्दी सम्वत 2056 प्रदर्ष–2 व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के नाम की इसी चक की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 की प्रति पेष की गई है जिसे प्रदर्ष–3 किया गया है जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादगत आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का विरास्तन हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज आराजी में से वादीगण 0.759 है. आराजी ही अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते है,शेष हिस्सा यथावत वादी के नाम से रखा जावे तो वादीगण को कोई आपति नहीं है। पैतृक सम्पति होने से उक्त वादगत आराजी में उनका हक व हिस्सा बनता है। विरास्तन रिकार्ड का साक्ष्य वादीगण के दादा के नाम की जमाबन्दी व दादा से प्राप्त पिता को आराजी की जमाबन्दी पेश की है जिससे वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया व दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित वंषावली प्रस्तुत हलफनामा अनुसार पक्षकार सयोंजित किये गये है। पत्नी शारदा देवी की सहमति का शपथ–पत्र पेष किया है। वादगत आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की चक नम्बर 3 एसएनजी के खाता संख्या 54/7 जमाबन्दी सम्बत् 2068–71 में दर्ज 1.131 हैं. व वादीगण के दादा के नाम से चक नं. 3 एसएनजी के खाता संख्या 6/6 में प्रतिवादी

संख्या 1 के पिता गोमद पुत्र कालू के नाम की जमाबन्दी सम्वत 2056 की नकल प्रतियां पेष की गई है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक नं. 3 एसएनजी के खाता संख्या 54/7 जमाबन्दी सम्वत. 2068–2071 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कुल 1.131 है. आराजी में से 0.759 है. आराजी के वादीगण को बहिब के खातेदार काष्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का 0.759 है. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा यथावत रखे जाने के आदेष दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेष दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(माँगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–माँगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्याः–365 / 2018

1. सन्दीप पुत्र बलवन्त जाति सुथार निवासीगण ढ़ाबा तहसील संगरिया।
2. सुधीर पुत्र बलवन्त जाति सुथार निवासीगण ढ़ाबा तहसील संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. बलवन्त पुत्र गोमदराम जाति सुथार निवासी ढ़ाबा तहसील संगरिया।
2. उप पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग संगरिया।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ माँगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु) समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीमसिंह छींपा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई ..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं. 3 एसएनजी के खाता संख्या 54 / 7 जमाबन्दी सम्वत. 2068–2071 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कुल 1.131 है. आराजी में से 0.759 है. आराजी के वादीगण को बहित के खातेदार काष्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का 0.759 है. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा यथावत रखे जाने के आदेष दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेष दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(माँगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया